

2020/58078

फर्द अहकाम

पायालय

मंगला बजार उत्तरी विभाग

मंगला बजार मनफूली

कदमा संख्या / वर्ष

: 50 / 2020

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>इकरारनामों के आधार पर बेचना का प्रिया तथा उक्त विक्रय की गयी मुक्ति शर्तों में प्रतिवादी सं. 8 पहलुए के द्वारा जारी चेक के द्वारा प्राप्त कर ली गयी थी, प्रतिवादी सं. 8 का नाम राजन विकास में होने से वह प्रस्ताविका सं. नं. 18 रकम 1.7300 एम्पेपर में से $\frac{1}{3}$ हिस्सा यथा कालुराज को रजिस्ट्रार विक्रय का वे बेचना दिपाई है जो विधि विरुद्ध है अतः प्रार्थना पर 01.11.20 को रवायज विण जाते।</p> <p>कहस कुमुलाय प्र. फन पर मुनीपती पत्रावली का अवलोकन एवं कमील पत्रमागत की उक्त प्रार्थना पर की गयी कदम पर मत करते एवं कमील यथा द्वारा प्रस्तुत कानुनी तर्जिरे कस RPT. 2014 (1) P-537, RPT 2014 (2) P-1253, RPT 2016 (1) P-961 RPT 2013 (1) P-238 का मांगे अध्यापन करते व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करते के पश्चात वाइ प्रति आरपी सं. नं. 18 रकम 1.7300 एम्पेपर विक्रय प्राप्त कर के एम्पेपर में प्रतिवादी सं. 8 के कितने द्वारा उपरोक्त विषय के निमित्त करते हुए ही मुक्ति प्रदान</p>	

9020/0800न-8

सामाजिक कल्याण विभाग

10/20 मंगला कनाक राजपूत

क्र. सं.	विनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>नाथ का कोताइला या सि. डाडोकरा श्री रामनिवास 5/0 माताडीत को दिनांक 3.4.2004 को बहिष्पे इकरा नाम के अन्वय कर दिया तब उक्त विहित कृति की राशि श्री बहिष्पे इकरा नाम देवनाथ के फोटो होते के बाद अपने पुत्र प्रविणदी सि. 8 के द्वारा बहिष्पे चैम के पास करनी गयी थी। प्रविणदी सि. 8 प्रहारा के राजस्व डिमांड में नाम होते से रा. नं. 18 रकमा 1.7300 इकरा पर $\frac{1}{3}$ का हिस्सा पार्थी कालुराज को बहिष्पे रजिस्ट्रार विद्वज पत्र के अन्वय कर दिया जो कि विधि विरुद्ध है। अतः पार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्र पत्र 01210 08C विधि विरुद्ध होते से पार्थी को परमात्मा अन्वय जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः पार्थी का पार्थी पत्र 01210 08C विधि विरुद्ध होते से अन्वय कर रजिस्ट्रार विद्वज जाता है।</p> <p>पार्थी पत्र आयुक्त के अन्वय पर अन्वय परमात्मा को पत्र में अन्वय पत्र अन्वय। अन्वय प्रविणदी ने अन्वय अन्वय के अन्वय में निम्नलिखित कायदा अन्वय पत्र अन्वय</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RPT 2014 (1) P- 254 2. RPT 2016 (1) P- 87 3. RPT 2015 P- 739 4. RPT 2014 (1) P- 380 5. RPT 2018-19 (SMP) P- 610 6. RPT 2015 (2) P- 817 7. RPT 2012 (2) P- 653 8. पत्र P Act

फर्द अहकाम 2020/00078

विशेष विवरण

आयालय

जयपुर जिल्ला अदालत जयपुर

संगल बनाम गुनपुत्री

सुकदमा संख्या / वर्ष

: 50 / 2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>पञ्जावली का अक्लोकत एवं तन्वील पत्रकारिता की उक्त पत्रिका पत्र पर की गई कथार पर मतल करते एवं तन्वील पत्रि वादी द्वारा प्रस्तुत कियुती नजरीतों का अद्यपान करते दे पञ्जात वाड ग्रस्त भूमि के मसब ५ में तहसीलवा (कस्ती) द्वारा भोजी जो कुँएजात व नमरो के अक्लोकत से कुँएजात व नमरो काई मीस १०३ काउंस के आधार पर आज्ञा पत्रों के कब्जे व निमोन काते को ध्यात में रखते ए ए कवाया जाता प्रतीत होता है। प्रवी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपति कुँएजात महज प्रकलन को डेरी करत के उद्देश से पेश किया जाना प्रतीत होता है अतः प्रवी/प्रतिवादी सं. ४ द्वारा प्रस्तुत प्रवेता पत्र आपति कुँएजात आजी का का खारिज किया जाता है तहसीलवा कस्ती से प्राप्त कुँएजात अनुमाने वादी का वाड अतिरिक्ती किया जाता है कि वाड ग्रस्त आगती (सं. नं. 1772 रकबा 0.79 हैमर, सं. नं. 1773 रकबा 0.04 हैमर, सं. नं. 1774 रकबा 0.16 हैमर 1776 रकबा 0.17 हैमर, सं. नं. 1804 रकबा 1.73 हैमर, सं. नं. 377 रकबा 0.20 हैमर सं. नं. 542 रकबा 0.23 हैमर, सं. नं.</p>	

2020/00078

ज्यायका सहायक क्लरक उत्तरी जिला जयपुर

50/20

मंगला के 117-सन फुली

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष कि
		<p>543 रकबा 0.14 हेमेटा कुल किल 8 कुल रकबा 3.43 हेमेटा स्थित ग्राम झर तहसील कस्बा जिला जयपुर में से रक. नं. 18 रकबा 0.57 हेमेटा, 542 रकबा 0.12 हेमेटा 1772 रकबा 0.31 हेमेटा 377 रकबा 0.07 हेमेटा, 1776 रकबा 0.05 हेमेटा भूमि व्यववेदाल मंगला पुत्र विरधर जाति मीजा सा. डेह के हिस्से में रहेगी तथा रक. नं. 18 रकबा 1.16 हेमेटा 1772 रकबा 0.41 हेमेटा, रक. नं. 1776 रकबा 0.22 हेमेटा, रक. नं. 1774 रकबा 0.10 हेमेटा रक. नं. 377 रकबा 0.13 हेमेटा रक. नं. 542 रकबा 0.11 हेमेटा रक. नं. 543 रकबा 0.14 हेमेटा की भूमि व्यववेदाल पंडित उमा पुत्र डी. लाल दि. 1/2 रहित राज. मं. ग्रामोण कर्म झर सन फुली पुत्री ईशया जाति मीजा नि. झर कुलावती पुत्री ईशया मीजा नि. झर ग्राम लालपुरा तहसील कस्बा, सीपा डेही पुत्री ईशया मंगवती पुत्री ईशया जाति मीजा नि. ग्राम पाण्डरा काली कुलावती तह. दोसा म. च्ची पुत्री ईशया मन्नाम पुत्री ईशया जाति मीजा नि. ग्राम भावला तह. दोसा मन्नाम कुमाल पुत्र सी चानुराम, पुमडेही पुत्री चानुराम जाति मीजा नि. ग्राम लालपुरा तह. कस्बा दि. 1/4 के हिस्से में रहेगी तथा रक. नं. 1773 रकबा 0.04 हेमेटा की भूमि व्यववेदाल सन फुली पुत्री ईशया जाति मीजा नि. झर कुलावती पुत्री नि. ईशया मीजा पुत्र लालपुरा तहसील कस्बा, सीपा डेही पुत्री</p>	<p>याया कद सं.</p>

Kan

2020/00078

फर्द अहकाम

न्यायालय _____

मेंगला बनाम जनकूल

मुकदमा संख्या / वर्ष : _____ 10 / 20 20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
----------	---------------------------	----------------------	-------------

ईशरणा, मंगलतीर्थी पुत्री ईशरणा जाति भौजा नि. उत्तर कापड़वा इलाके भुगतारता तह. दोस, कस्ती पुत्री ईशरणा, सतोस पुत्री ईशरणा जाति भौजा नि. उत्तर भंगवा तह. दोसा हि. $\frac{6}{21}$, सतोस कुमाल पुत्र सी कालुरात पुसडेवी पुत्री कालुरात हि. $\frac{1}{2}$, जाति भौजा उत्तर लालपुरा तह. कस्ती कितारतत पहला पुत्र डेवीलाल हि. $\frac{1}{2}$, भौजा पुत्र केशर हि. $\frac{1}{2}$ जाति भौजा सहित रज. मरु ग्रा. बैरु शाखा अर, मंगला पुत्र केशर हि. $\frac{1}{2}$ जाति भौजा सा. देह के इस्ते में रहेगी। उक्तानुसार राजस्व/किराते में अमल दरानद दिया जावे। कुटुंबात व नमरो काहु अनुमोदन तहसीलदार कस्ती को भेजे जावे। डि.की पचा जाती हो। विशेष व डि.की को पाबना देह तहसीलदार कस्ती को तहरीर जाती हो। पन्नावकी फेसल शुमार होना वगैरे तदनुसार न्यायिक दायर हो।

आज्ञा दिनांक ११ 3.21 को यह निर्णय रजिस्त्रे न्यायिक में मुनाफा प्रया।

Kam
न्यायिक सहायक न्यायी जिला जयपुर

डिफ़ी मुकदमा इब्लादाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी रामकुमार वर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर
वादी प्रतिवादी

- | क्र.सं. | बनाम | विवरण |
|---------|--|---|
| 1. | मंगला पुत्र बिरघा
जाति मीणा निवासी ग्राम झर, स्टेशन की
ढाणी, तह. बस्सी जिला जयपुर। | 1. मनफूली पुत्री ईशरया पत्नि
रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम
झर, स्टेशन की ढाणी, तह. बस्सी
जिला जयपुर।
2. कलावती पुत्री ईशरया पत्नि
प्रभातीलाल जाति मीणा हाल
निवासी ग्राम लालपुरा तह. बस्सी
जिला जयपुर।
3. सीया देवी पुत्री ईशरया पत्नि
लोहडीराम जाति मीणा हाल
निवासी ग्राम पापडदा ढाणी
लूणावता तह. दौसा जिला दौसा।
4. भगवती पत्नि प्रभातीलाल पुत्री
ईशरया जाति मीणा हाल निवासी
ग्राम पापडदा ढाणी लूणावता तह.
व जिला दौसा।
5. लच्छी देवी पत्नि छोटेलाल पुत्री
ईशरया जाति मीणा हाल निवासी
ग्राम भावता तह. व जिला दौसा।
6. संतोष पुत्री ईशरया पत्नि सुरेन्द्र
कुमार जाति मीणा हाल निवासी
ग्राम भावता तह. व जिला दौसा।
7. मनोज कुमार पुत्र कालूराम व स्व.
श्रीमति नयना देवी जाति मीणा
हाल निवासी ग्राम लालपुरा तह.
बस्सी जयपुर।
8. प्रहलाद कुमार पुत्र देवीलाल जाति
मीणा निवासी ग्राम झर ढाणी
स्टेशन की तह. बस्सी जिला
जयपुर।
9. तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।
10. उपपजियक बस्सी जिला जयपुर। |

दावा बाबत विमाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 50/20

वादी का वाद अंतिम डिफ़ी किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1772 रकबा 0.72 हेक्टेयर, ख.नं. 1773 रकबा 0.04 हेक्टेयर, ख.नं. 1774 रकबा 0.10 हेक्टेयर, ख.नं. 1776 रकबा 0.27 हेक्टेयर, ख.नं. 18 रकबा 1.73 हेक्टेयर, ख.नं. 377 रकबा 0.20 हेक्टेयर, ख.नं. 542 रकबा 0.23 हेक्टेयर, ख.नं. 543 रकबा 0.14 हेक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 3.43 हेक्टेयर स्थित ग्राम झर तह. बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 18/1 रकबा 0.57 हेक्टेयर, ख.नं. 542 रकबा 0.12 हेक्टेयर, ख.नं. 1772 रकबा 0.31 हेक्टेयर, ख.नं. 377 रकबा 0.07 हेक्टेयर, 1776 रकबा 0.05 हेक्टेयर की भूमि खातेदार मंगला पुत्र बिरघा जाति मीणा सा. देह कं हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 18 रकबा 1.16 हेक्टेयर, ख.नं. 1772/1 रकबा 0.41 हेक्टेयर, ख.नं. 1776 रकबा 0.22 हेक्टेयर, ख.नं. 1774 रकबा 0.10 हेक्टेयर, ख.नं. 377 रकबा 0.13 हेक्टेयर, ख.नं. 542/1 रकबा 0.11 हेक्टेयर, ख.नं. 543 रकबा 0.14 हेक्टेयर की भूमि खातेदार प्रहलाद कुमार पुत्र देवीलाल हिस्सा 1/2 राहिन राज मरु. ग्रामीण बैंक झर, मनफूली पुत्री ईशरया जाति मीणा निवासी झर, कलावती पुत्री ईशरया जाति मीणा निवासी ग्राम लालपुरा तह. बस्सी सीया देवी पुत्री ईशरया, भगवती पुत्री ईशरया जाति मीणा निवासी ग्राम पापडदा ढाणी लूणावता तह. दौसा, लच्छी पुत्री ईशरया, संतोष पुत्री ईशरया जाति मीणा निवासी ग्राम भावता तह. दौसा हिस्सा 6/14, मनोज कुमार पुत्र कालूराम, प्रेमदेवी पुत्री कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम लालपुरा तह. बस्सी हिस्सा 1/14 कं हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 1773 रकबा 0.04 हेक्टेयर की भूमि खातेदार मनफूली पुत्री ईशरया जाति मीणा निवासी झर, कलावती पुत्री ईशरया जाति मीणा निवासी ग्राम लालपुरा तह. बस्सी, सीया देवी पुत्री ईशरया, भगवती देवी पुत्री ईशरया

बस्सी जयपुर

जाति मीणा निवासी ग्राम पापडदा ढाणी लुणावता तह. दौसा, लच्छी पुत्री ईशरया, संतोष पुत्री ईशरया जाति मीणा निवासी ग्राम भावता तह. दौसा हिस्सा 6/21, मनोज कुमार पुत्र कालूराम, प्रेमदेवी पुत्री कालूराम हिस्सा 1/21 जाति मीणा ग्राम लालपुरा तह. बस्सी बिना रहन प्रहलाद पुत्र देवीलाल हिस्सा 1/3, मंगला पुत्र बिरघा हिस्सा 1/3 जाति मीणा राहिन राज. मरु. ग्रामीण बैंक शाखा झर, मंगला पुत्र बिरघा हिस्सा 1/3 जाति मीणा सा. देह के हिस्से में रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। कुर्रजात व नक्शे बाद अनुमोदन तहसीलदार बस्सी को भेजा जावे।.....निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा.....इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख यकूलियाव तक.....को अदा करें। बसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.03.2021 को जारी किया गया।

माहर
ओहदा.....



दस्तावेज
बस्ती जिला जयपुर

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुकमनामा			बाबत इजराय हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्ली के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्ती जिला जयपुर